न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी जसवन्त सिह, आर.ए.एस.

अपील संख्या 75/2025 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2025/82)

तुफैल मोहम्मद पुत्र फरजन्द अली जाति मुसलमान निवासी सुरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।
2. सुखदेव सिह पुत्र मुंशा सिह जाति राय सिख निवासी चंदूरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. प्रेम सिह पुत्र मुंशा सिह जाति रायसिख निवासी चंदूरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. हरचरण सिह पुत्र दिवान सिह जाति राय सिख निवासी चंदूरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री महेन्द्र बिश्नोई – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2, 3, 4

निर्णय **दिनांकः 26.09.2025**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के अपील सं. 47/2024 निर्णय दिनांक 30.10.2024 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के अपील संख्या 47/2024 अनवान सुखेदव सिह वगैरह बनाम स्टेट के निर्णय दिनांक 30.10.2024 के विरूद्व अपील प्रस्तुत कर निर्णय दिनांक 30.10.2024 को निरस्त करते हुए तहसीलदार टिब्बी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.09.2024 को बहाल रखने का अनुतोष चाहा गया है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।
4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार टिब्बी द्वारा पारित किये गये निर्णय को बिना तथ्यो पर विचार किये पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

विरूद्व कानून उसूल एवं प्राकृतिक न्याय तथा तथ्यो के खिलाफ पारित होने के कारण हर प्रकार से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील में रेस्पोडेन्ट ने यह स्वीकार किया है कि विवादग्रस्त रास्ता पूर्व से ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज है परन्तु सिचाई विभाग द्वारा वहा पर खाला मंजूर कर लिये जाने के कारण उक्त रास्ता स्वय ही निरस्त हो चुका है और इस बात को अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर कानूनी भूल की है। क्योकि जब कोई अंकन राजस्व रिकार्ड मे हो जाता है तो वह अंकन स्वतः ही निरस्त नही होता उक्त अंकन को निरस्त किये जाने हेतु कानूनी प्रक्रिया अपना कर संक्षम अधिकारी द्वारा आदेश कर उसे हटाया जा सकता है। रेस्पोडेन्ट द्वारा जो गैर मुमकिन रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण कर फसल काश्त की गई है उसे नष्ट करने का आदेश दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में केवल दो बिन्दु अंकित किये है जिस मे से बिन्दु सं. 1 में तहसीलदार टिब्बी के निर्णय का अंकन है और बिन्दु सं. 2 में यह अंकित किया है कि तहसीलदार टिब्बी ने रिकार्ड के विपरित आदेश किया है इसलिए तहसीलदार टिब्बी का निर्णय दिनांक 24.09.2024 राजस्व रिकार्ड के विपरित पाये जाने के कारण अपास्त किया जाता है। इस तरह का निर्णय कानूनन निर्णय की परिभाषा में नही आता इसलिए खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.10.2024 को निरस्त फरमाते हुए तहसीलदार टिब्बी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.09.2024 को बहाल रखा जावे।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि रेस्पोडेन्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश करने पर अपील को स्वीकार किया गया तथा तहसीलदार टिब्बी का निर्णय दिनांक 24.09.2024 को निरस्त किया है। सिचाई विभाग का खाला चल रहा है। हरा वृक्ष खड़ा है, यह खाला एक विशेष व्यक्ति का नही है। इसी आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत अपील अपर जिला कलक्टर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

हनुमानगढ अपील सं. 47/2024 के निर्णय दिनाक 30.10.2024 के विरूद्व प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट पक्षकार नही था, उसको पक्षकार नही बनाया गया। अपीलान्ट को हितबद्व पक्षकार मानते हुए धारा 96 सी पी सी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सुने निर्णय पारित किया गया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुवे अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानढ द्वारा पारित अपील संख्या 47/2024 निर्णय दिनांक 30.10.2024 को अपास्त करते हुए प्रकरण अपर जिला कलक्टर हनुमानढ को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता हे कि प्रकरण में उभय पक्ष को सुनकर, पुनः निर्णय पारित करे। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 26.09.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसवन्त सिंह)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर